Neutral Citation
2020:CGHC:9292

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक विविध याचिका कमांक 757/2020

1. मेसर्स विकॉन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक वरुण जैन के पुत्र के माध्यम से

श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

2. वरुण जैन, पुत्र श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

(उत्तरवादीगण)

---- याचिकाकर्ता

बनाम

संजय श्री श्रीमाल, पुत्र स्वर्गीय शांतिलाल श्री श्रीमाल, उम्र लगभग 50 वर्ष निवासी श्री श्रीमाल हाउस, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(आवेदक)

----उत्तरवादी

दाण्डिक विविध याचिका कमांक 760/2020

1. मेसर्स विकॉन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक वरुण जैन के पुत्र के माध्यम से श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

2. वरुण जैन, पुत्र श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

---- याचिकाकर्ता गण

बनाम

संजय श्री श्रीमाल पुत्र स्वर्गीय शांतिलाल श्री श्रीमाल, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी श्री श्रीमल हाउस, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.)

---- उत्तरवादीगण

दाण्डिक विविध याचिका कमांक 761/2020

1. मेसर्स विकॉन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक वरुण जैन के पुत्र के माध्यम से श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

2. वरुण जैन पुत्र श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौब कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

---- याचिकाकर्ता गण

बनाम

1. खंडवा ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक संजय श्री श्रीमाल के माध्यम से, शांतिलाल पुत्र स्वर्गीय श्री श्रीमाल, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी श्री श्रीमाल हाउस, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.)

2. संजय श्री श्रीमाल पुत्र स्वर्गीय शांतिलाल श्री श्रीमाल उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी श्री श्रीमाल हाउस, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.)

---- उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक विविध याचिका कमांक 762/2020

1. मेसर्स विकॉन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक वरुण जैन के पुत्र के माध्यम से श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

2. वरुण जैन, पुत्र श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

---- याचिकाकर्ता गण

बनाम

संजय श्री श्रीमाल, पुत्र स्वर्गीय शांतिलाल श्री श्रीमाल, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी श्री श्रीमाल हाउस, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.)

---- उत्तरवादी

दाण्डिक विविध याचिका कमांक 763/2020

1. मेसर्स विकॉन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक वरुण जैन के पुत्र के माध्यम से

श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

2. वरुण जैन, पुत्र श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

---- याचिकाकर्ता गण

बनाम

संजय श्री श्रीमाल, पुत्र स्वर्गीय शांतिलाल श्री श्रीमाल, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी श्री श्रीमाल हाउस, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.)

---- उत्तरवादी

दाण्डिक विविध याचिका क्रमांक 764/2020

1. मेसर्स विकॉन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक वरुण जैन के पुत्र के माध्यम से

श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

2. वरुण जैन, पुत्र श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

---- याचिकाकर्ता गण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

संजय श्री श्रीमाल, पुत्र स्वर्गीय शांतिलाल श्री श्रीमाल, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी श्री श्रीमाल हाउस, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.)

---- उत्तरवादी

दाण्डिक विविध याचिका क्रमांक 765/2020

1. मेसर्स विकॉन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक वरुण जैन के पुत्र के माध्यम से श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

2. वरुण जैन, पुत्र विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

---- याचिकाकर्ता गण

बनाम

संजय श्री श्रीमाल, पुत्र स्वर्गीय शांतिलाल श्री श्रीमाल, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी श्री श्रीमाल हाउस, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.)

———— उत्तरवादी

दाण्डिक विविध याचिका कमांक 766/2020

1. मेसर्स विकॉन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक वरुण जैन के पुत्र के माध्यम से श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

2. वरुण जैन, पुत्र श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

———— याचिकाकर्ता गण

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संजय श्री श्रीमाल पुत्र स्वर्गीय शांतिलाल श्री श्रीमाल, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी श्री श्रीमल हाउस, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.)

———— उत्तरवादी

दाण्डिक विविध याचिका कमांक 767/2020

1. मेसर्स विकॉन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक वरुण जैन के पुत्र के माध्यम से श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

2. वरुण जैन, पुत्र श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

———— याचिकाकर्ता गण

बनाम

1. खंडवा ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक संजय श्री श्रीमाल के माध्यम से, शांतिलाल पुत्र स्वर्गीय श्री श्रीमाल, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी श्री श्रीमाल हाउस, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.)

2. संजय श्री श्रीमाल पुत्र स्वर्गीय शांतिलाल श्री श्रीमाल उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी श्री श्रीमाल हाउस, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.)

——— उत्तरवादीगण

दाण्डिक विविध याचिका कमांक 768/2020

1. मेसर्स विकॉन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक वरुण जैन के पुत्र के माध्यम से श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

2. वरुण जैन, पुत्र श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

——— याचिकाकर्ता गण

बनाम

संजय श्री श्रीमाल, पुत्र स्वर्गीय शांतिलाल श्री श्रीमाल, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी श्री श्रीमाल हाउस, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

——— उत्तरवादी

दाण्डिक विविध याचिका कमांक 769/2020

1. मेसर्स विकॉन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक वरुण जैन, पुत्र के माध्यम से। श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

2. वरुण जैन, पुत्र श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

——— याचिकाकर्ता

बनाम

1. खंडवा ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड निदेशक संजय श्री श्रीमाल के माध्यम से, पुत्र स्वर्गीय शांतिलाल श्री श्रीमाल, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी श्री श्रीमाल हाउस, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.)

2. संजय श्री श्रीमाल पुत्र स्वर्गीय शांतिलाल श्री श्रीमाल उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी श्री श्रीमाल हाउस, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.)

——— उत्तरवादीगण

दाण्डिक विविध याचिका कमांक 770/2020

1. मेसर्स विकॉन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक – वरुण जैन, पुत्र के माध्यम से श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

2. वरुण जैन, पुत्र श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

——— याचिकाकर्ता

बनाम

संजय श्री श्रीमाल, पुत्र स्वर्गीय शांतिलाल श्री श्रीमाल, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी श्री श्रीमाल हाउस, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.)

——— उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक विविध याचिका कमांक 771/2020

1. मेसर्स विकॉन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक वरुण जैन के पुत्र के माध्यम से श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

2. वरुण जैन, पुत्र श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निदेशक मेसर्स विकॉन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

——— याचिकाकर्ता गण

बनाम

संजय श्री श्रीमाल, पुत्र स्वर्गीय शांतिलाल श्री श्रीमाल, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी श्री श्रीमाल हाउस, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.)

——— उत्तरवादी

दाण्डिक विविध याचिका कमांक 772/2020

1. मेसर्स विकॉन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक वरुण जैन के पुत्र के माध्यम से श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

2. वरुण जैन, पुत्र श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

——— याचिकाकर्ता गण

बनाम

संजय श्री श्रीमाल, पुत्र स्वर्गीय शांतिलाल श्री श्रीमाल, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी श्री श्रीमाल हाउस, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.)

——— उत्तरवादी

दाण्डिक विविध याचिका क्रमांक 773/2020

1. मेसर्स विकॉन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक वरुण जैन के पुत्र के माध्यम से श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. वरुण जैन, पुत्र श्री विमल जैन, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

——— याचिकाकर्ता गण

बनाम

संजय श्री श्रीमाल, पुत्र स्वर्गीय शांतिलाल श्री श्रीमाल, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी श्री श्रीमाल हाउस, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.)

——— उत्तरवादी

याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री मयंक कुमार, अधिवक्ता।

उत्तरवादी की ओर से ध्यान नहीं दिया गया।

राज्य की ओर से श्री रवि कुमार भगत, उप शासकीय अधिवक्ता।

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

आदेश ऑन बोर्ड 08.06.2020

1. इन मामलों की कार्यवाही बिलासपुर के बोदरी स्थित उच्च न्यायालय परिसर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई है।

2. चूंकि इन सभी याचिकाओं में तथ्य और विधि का एक ही प्रश्न शामिल है, इसलिए इन्हें एक साथ जोड़ दिया गया है और समान रूप से सुनवाई के लिए लिया गया है तथा इस सामान्य आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है।

3. सुविधा के लिए, ब्त.डच्छव.757ध्2020 (मेसर्स विकॉन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम संजय श्री श्रीमल) के तथ्यों को मुख्य मामले के रूप में लिया गया है –

4. उत्तरवादी/शिकायतकर्ता ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में, एनआई अधिनियम) की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने उत्तरवादी/शिकायतकर्ता को उनके बकाया दायित्व के लिए ₹ 1,07,99,719/– की राशि का चेक जारी किया, जो उत्तरवादी/शिकायतकर्ता ने लाभांडी, रायपुर में ताज विला उपलब्ध कराने के लिए याचिकाकर्ताओं से प्राप्त किया था। जब चेक प्रस्तुत किया गया, तो यह अनादरित हो गया और उसके बाद शिकायतकर्ता ने पैसे के भुगतान की मांग करते हुए कानूनी नोटिस भेजा, जिसका जवाब नहीं दिया गया, जिसके कारण शिकायत दर्ज की गई, जिसमें विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 8–1–2015 को एन.आई.अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का संज्ञान लिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ताओं ने उपस्थित होने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में संहिता) की धारा 203 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि जिस तरह से शिकायत तैयार की गई और दायर की गई है, वह विचारणीय नहीं है और इसलिए शिकायत को खारिज किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के साथ एनआई अधिनियम की धारा 118 (ए) के आधार पर एक आपत्ति भी दायर की , जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ कहा गया कि शिकायतकर्ताओं ने निदेशक के नाम आदि के संबंध में अपनी पूरी पहचान का खुलासा नहीं किया है, और इसलिए शिकायतकर्ताओं को खंडवा ऑयल्स के बारे में दस्तावेज और खातों के संबंध में अन्य विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। अपराध 8–1–2015 को दर्ज किया गया है।

6. उपरोक्त आवेदन 3–10–2019 को विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारार्थ आए और दोनों आवेदनों को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दर्ज अपराध समन ट्रायल के रूप में विचारणीय है और समन ट्रायल में आरोपी व्यक्तियों को बरी करने का कोई प्रावधान नहीं है और वे उचित चरण में अपना बचाव करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, विद्वान मजिस्ट्रेट ने दस्तावेजों के उत्पादन के लिए अन्य आवेदनों को भी इस आधार पर खारिज कर दिया कि वर्तमान में शिकायत प्रारंभिक चरण में है और याचिकाकर्ता बचाव चरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिकाएं पेश कीं और पुनरीक्षण न्यायालय ने ट्रायल मजिस्ट्रेट के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और उन पुनरीक्षणों को खारिज कर दिया जिनके खिलाफ संहिता की धारा 482 के तहत ये याचिकाएं दायर की गई हैं।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री मयंक कुमार ने कहा कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध की सुनवाई कर रहे विद्वान मजिस्ट्रेट के पास आरोपी को बरी करने की शक्ति और क्षेत्राधिकार

है, यदि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है तो वे **भूषण कुमार और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अन्य**[1] के बाद **उर्शिला केरकर बनाम मेक माई ट्रिप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड**[2] के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं और आगे कहा कि इसके मद्देनजर याचिकाओं को अनुमति दी जानी चाहिए और शिकायत को खारिज किया जाना चाहिए।

8. उत्तरवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं (ध्यान नहीं दिया गया)।

9. न्यायालय की सहायता करने वाले विद्वान राज्य अधिवक्ता श्री रवि कुमार भगत ने कहा कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध समन मामले के रूप में विचारणीय है और संहिता में एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध पंजीकृत होने के बाद अभियुक्त को मुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है और विद्वान मजिस्ट्रेट के पास उपलब्ध एकमात्र विकल्प या तो अभियुक्त को दोषमुक्त करना है या फिर मुकदमे के समापन पर उन्हें दोषी ठहराना है, समन मामले में मजिस्ट्रेट के पास कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है और एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध निश्चित रूप से समन मामले के रूप में विचारणीय है। उन्होंने अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए **अदालत प्रसाद बनाम रूपलाल जिंदल**[3] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनके द्वारा ऊपर दिए गए प्रतिद्वन्द्वात्मक निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

11. संहिता का अध्याय 20 (धारा 251 से 259 तक), जो समन–मामलों के परीक्षण से संबंधित है, अभियुक्त को उन्मोचित करने का प्रावधान नहीं करता है।

12. संहिता की धारा 251 से 259 में निहित प्रावधानों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि समन मामले में न्यायालय आरोपी के उपस्थित होने पर अपराध का विवरण बताता है और उससे पूछता है कि क्या वह दोषी है या उसके पास कोई बचाव है। यदि आरोपी दोषी नहीं है तो न्यायालय अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को रिकॉर्ड करेगा, आरोपी को सुनेगा और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को लेगा। इसके बाद न्यायालय या तो आरोपी को दोषी नहीं मानेगा या उसे दोषी ठहराएगा। संहिता की धारा 255(3) न्यायालय को किसी भी अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने का अधिकार देती है जो स्वीकार किए गए या साबित किए गए तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने किया है, यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि इससे आरोपी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। यह ध्यान देने योग्य बात है कि संहिता का अध्याय 20, जो समन मामलों के विचारण से संबंधित है, अभियुक्त को उन्मोचित करने का प्रावधान नहीं करता है।

13. सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने अदालत प्रसाद (सुप्रा) में स्पष्ट रूप से कहा कि यदि मजिस्ट्रेट बिना किसी आधार के आदेश जारी करता है, तो इसका उपाय संहिता की धारा 482 के तहत याचिका में निहित है, मजिस्ट्रेट के पास उस आदेश की समीक्षा करने और अभियुक्त को जारी किए गए समन को वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है।

---

1 (2012) 5 SSC 424

2 2023 SCC Online Del 4563

3 (2004) 7 SCC 338

14. अदालत प्रसाद (सुप्रा) में कानून के उपरोक्त सिद्धांत का पालन सुप्रीम कोर्ट ने **सुब्रमण्यम सेथुरमन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य** [4]में किया था, जहां उनके माननीय न्यायाधीशों ने निम्नलिखित रूप से निर्णय दिया था –

''सीआरपीसी की धारा 204 के तहत डिस्चार्ज, समीक्षा, पुनर्विचार, प्रक्रिया जारी करने के आदेश को वापस लेना सीआरपीसी के तहत समन मामलों में परिकल्पित नहीं है। एक बार अभियुक्त को बुलाने के बाद, ट्रायल कोर्ट को अभियुक्त की दलील (सीआरपीसी की धारा 251 के अनुसार) दर्ज करनी होती है और मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाना होता है और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कार्यवाही को बीच में ही छोड़ने की अनुमति देता हो।''

15. इसी प्रकार, **आर.के. अग्रवाल बनाम ब्रिगेडियर मंडन लाल नासा एवं अन्य** [5] के मामले में , दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है –

''याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोप मुक्त करने के लिए दिए गए तर्क का कोई आधार नहीं है, क्योंकि सबसे पहले, समन मामले में आरोप मुक्त करने का कोई चरण नहीं होता है। सीआरपीसी के अध्याय ग्ग के तहत, समन मामले में निजी शिकायत दर्ज करने के बाद, अभियुक्त को या तो दोषी ठहराया जाता है या बरी कर दिया जाता है। सीआरपीसी के अध्याय ग्ग के तहत किसी भी स्तर पर अभियुक्त को आरोप मुक्त करने का कोई चरण नहीं है।''

16. इसी प्रकार और प्रासंगिक रूप से, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने **जुलेखा बनाम महादेव भारमजी**[6] के मामले में विशेष रूप से माना कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अभियोजन से किसी भी प्रकार की उन्मुक्ति नहीं मिलती।

17. उपर्युक्त कानूनी विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि समन मामलों में जब एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध एनआई अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत हो जाता है, तो उसे समन मामले के रूप में माना जाना चाहिए और समन मामले में, अभियुक्त को पहले से जारी समन को वापस लेने या रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। अभियुक्त को मुकदमे का सामना करना पड़ता है और उसे उक्त न्यायालय द्वारा या तो बरी किया जाना चाहिए या दोषी ठहराया जाना चाहिए और अभियुक्त के पास, यदि कोई हो, उसे समन जारी करने के आदेश पर सवाल उठाने का उपाय, संहिता की धारा 482 के तहत याचिका दायर करना है। इस प्रकार, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश की पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा विधिवत पुष्टि की गई है, जिसमें कहा गया है कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के समन–परीक्षण में अभियुक्त को मुक्त नहीं किया जा सकता है, यह एक ऐसा आदेश है जिसे इस न्यायालय द्वारा अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में निषेधाज्ञा की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, दोनों निचली अदालतें याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्वहन का दावा करने वाले आवेदनों को खारिज करने में पूरी तरह से न्यायसंगत हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4 (2004) 13 SCC 324

5 2016 SCC Online Del 3720

6 Cri. Petition No. 11193/2012, decided on 26-09-2012

18. कंपनी – खंडवा ऑयल्स से संबंधित दस्तावेजों के उत्पादन का दावा करने वाले याचिकाकर्ताओं के एक अन्य आवेदन को ट्रायल कोर्ट द्वारा सही रूप से खारिज कर दिया गया है क्योंकि साक्ष्य के स्तर पर, याचिकाकर्ता **उड़ीसा राज्य बनाम देबेन्द्र नाथ पाढ़ी** [7] के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर दस्तावेजों के उत्पादन की मांग करने के हकदार नहीं हैं।

19. इस स्तर पर, संहिता की धारा 91 में निहित प्रावधानों पर ध्यान देना उचित होगा जो निम्नानुसार है –

"91. दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन।––(1) जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि किसी दस्तावेज या अन्य चीज का पेश किया जाना इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी द्वारा या उसके समक्ष किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या वांछनीय है, तब ऐसा न्यायालय उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे या शक्ति में ऐसी दस्तावेज या चीज होने का विश्वास है, समन जारी कर सकेगा या ऐसा अधिकारी लिखित आदेश जारी कर सकेगा, जिसमें उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह समन या आदेश में कथित समय और स्थान पर उपस्थित हो और उसे पेश करे।

(2) इस धारा के अधीन किसी दस्तावेज या अन्य चीज को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अध्यपेक्षा का अनुपालन कर दिया है, यदि वह ऐसे दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय उसे प्रस्तुत करवाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) इस धारा की कोई बात निम्नलिखित नहीं समझी जाएगी––

(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124, या बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 13) को प्रभावित करने के लिए, या

(ख) डाक या टेलीग्राफ प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या वस्तु पर लागू करना।"

20. उपर्युक्त प्रावधान का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि किसी दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए समन जारी करने की शक्ति का प्रयोग तब किया जाना चाहिए जब न्यायालय को लगे कि जांच , पूछताछ, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए उसका प्रस्तुत करना आवश्यक या वांछनीय है। दूसरे शब्दों में, संहिता के तहत विचारित कार्यवाही के प्रत्येक चरण में न्यायालय को यह शक्ति उपलब्ध है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह शक्ति न केवल न्यायालय को बल्कि किसी भी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को भी उपलब्ध है और शक्ति के प्रयोग के लिए एकमात्र शर्त यह है कि दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत करना कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या वांछनीय होना चाहिए और एकमात्र प्रतिबंध उप–धारा (3) के तहत निहित है जो यह प्रदान करता है कि धारा के प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 और 124 को प्रभावित नहीं करेंगे या डाक या टेलीग्राफ अधिकारियों की हिरासत में वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे।

---

7 (2005) 1 SCC 568

21. उच्चतम न्यायालय के पास **देबेन्द्र नाथ पाधी मामले** (सुप्रा) में तीन पीठों के निर्णय में संहिता की धारा 91 के दायरे और परिधि पर विचार करने का अवसर है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने माना है कि संहिता की धारा 91, आरोप तैयार करने के प्रारंभिक चरण में अपने बचाव को साबित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग करने का अभियुक्त को अधिकार नहीं देती है और निम्नानुसार टिप्पणी की गई है –

''25. उपर्युक्त प्रावधान के तहत परिकल्पित किसी भी दस्तावेज या अन्य चीज को प्रस्तुत करने का आदेश तब दिया जा सकता है जब यह पाया जाए कि वह संहिता के तहत जांच, पूछताछ, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के उद्देश्य के लिए आवश्यक या वांछनीय है। धारा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता दस्तावेज के आवश्यक या वांछनीय होने के बारे में है। आवश्यकता या वांछनीयता को उस चरण के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जब उत्पादन के लिए प्रार्थना की जाती है। यदि कोई दस्तावेज अभियुक्त के बचाव के लिए आवश्यक या वांछनीय है, तो आरोप तय करने के प्रारंभिक चरण में धारा 91 को लागू करने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उस चरण में अभियुक्त का बचाव प्रासंगिक नहीं है। जब धारा जांच, पूछताछ, परीक्षण या अन्य कार्यवाही को संदर्भित करती है, तो यह ध्यान में रखना चाहिए कि धारा के तहत एक पुलिस अधिकारी अदालत में दस्तावेज को बुलाने और प्रस्तुत करने के लिए आवेदन कर सकता है, जैसा कि धारा में उल्लिखित किसी भी चरण में आवश्यक हो सकता है। जहां तक अभियुक्त का संबंध है, धारा 91 के तहत आदेश मांगने का उसका अधिकार आमतौर पर बचाव के चरण तक नहीं आता है। जब धारा दस्तावेज के आवश्यक और वांछनीय होने की बात करती है, तो यह निहित है कि आवश्यकता और वांछनीयता की जांच उस चरण पर विचार करते हुए की जानी चाहिए जब समन और प्रस्तुति के लिए ऐसी प्रार्थना की जाती है और इसे प्रस्तुत करने वाला पक्ष, चाहे वह पुलिस हो या आरोपी। यदि धारा 227 के तहत केवल धारा 173 के अनुसार प्रस्तुत किया गया रिकॉर्ड ही आवश्यक और प्रासंगिक है, तो अभियुक्त उस चरण में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की मांग करने के लिए धारा 91 का सहारा नहीं ले सकता। धारा 91 के तहत दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है और लिखित आदेश के तहत पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी भी इसे प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है। धारा 91 अभियुक्त को अपने बचाव को साबित करने के लिए अपने कब्जे में मौजूद दस्तावेज को प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं देती है। धारा 91 में यह पूर्वधारणा है कि जब दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसे प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।''

22. माननीय न्यायाधीशों ने **ओम प्रकाश शर्मा बनाम सीबीआई**[8] के मामले में अपने पहले के निर्णय के संदर्भ में मामले पर आगे विचार किया और निम्नानुसार निर्णय दिया –

''28. हमारा विचार है कि जब अभियुक्त द्वारा संहिता की धारा 91 के तहत अधिकारिता का आह्वान किया जाता है, तो न्यायालय को संहिता के तहत जांच, पूछताछ, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के उद्देश्य के संदर्भ में इसकी आवश्यकता और वांछनीयता को देखना होगा। यह भी ध्यान में रखना होगा कि कानून घुमंतू या मछली पकड़ने वाली जांच की अनुमति नहीं देता है।''

8 (2000) 5 SCC 679

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. **देबेन्द्र नाथ पाधी के मामले** (सुप्रा) में निर्धारित विधि के सिद्धांत का अनुपालन **वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड बनाम एसपी गुप्ता और अन्य**[9] के मामले में उनके माननीयों द्वारा अनुमोदन के साथ किया गया। उनके माननीयों ने **देबेन्द्र नाथ पाधी के मामले** (सुप्रा) में निर्धारित विधि के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की । (उस रिपोर्ट का पैराग्राफ 49 देखें।)

24. अभी हाल ही में, **नित्य धर्मानंद उर्फ के. लेनिन और अन्य बनाम गोपाल शीलम रेड्डी जिन्हें नित्य भक्तानंद और अन्य** [10]के नाम से भी जाना जाता है के मामले में , उनके माननीय न्यायाधीशों ने **देबेन्द्र नाथ पाधी के मामले** (सुप्रा) में प्रतिपादित कानून के सिद्धांत का पालन किया और माना कि बचाव पक्ष को आरोप के स्तर पर न्यायालय की संतुष्टि के अलावा सीआरपीसी की धारा 91 को लागू करने का कोई अधिकार नहीं है और निम्नानुसार अवलोकन किया –

''8. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जबकि सामान्यतः न्यायालय को आरोप के मुद्दे से निपटने के लिए आरोप–पत्र के साथ प्रस्तुत सामग्री के आधार पर आगे बढ़ना होता है, लेकिन यदि न्यायालय को यह संतुष्टि हो जाती है कि जांचकर्ता/अभियोजक द्वारा रोकी गई सामग्री उच्च गुणवत्ता की है, तो न्यायालय को समन जारी करने या उस पर भरोसा करने से रोका नहीं जा सकता, भले ही ऐसा दस्तावेज आरोप–पत्र का हिस्सा न हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि बचाव पक्ष को आरोप के स्तर पर न्यायालय की संतुष्टि के बिना धारा 91 सीआरपीसी लागू करने का अधिकार है।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. उपर्युक्त के मद्देनजर, दोनों निचली अदालतों द्वारा प्रारंभिक चरण में दस्तावेज प्रस्तुत करने के आवेदन को खारिज करना पूर्णतः न्यायोचित है।

26. उपर्युक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, मुझे संहिता की धारा 482 के तहत याचिकाओं के इस समूह में कोई योग्यता नहीं दिखती। तदनुसार, याचिकाएँ समय रहते खारिज की जानी चाहिए और की जाती हैं। हालाँकि, यह याचिकाकर्ताओं को कानून के तहत उपलब्ध उपाय (यदि कोई हो) का उपयोग करने से नहीं रोकेगा।

सही/–

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक

9 (2016) 3 SCC 736

10 (2018) 2 SCC 93

प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur